<u>आवश्यक/मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी</u>

<u>संख्या:76/2022/1446/1362733/12-2010/6/2021</u>

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 07 अक्टूबर, 2022

विषय: रबी अभियान, 2022-23 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन हेतु मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 75/2022/1415/12-2-2022-एस.85/ 2008, दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी अभियान 2022-23 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए रणनीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नलिखित मण्डलों की पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा:-

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्थान	दिनांक	दिन
1	झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर	कानपुर	12 अक्टूबर, 2022	बुधवार
2	मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद	मेरठ	14 अक्टूबर, 2022	शुक्रवार
3	अलीगढ़, आगरा, बरेली	अलीगढ़	17 अक्टूबर, 2022	सोमवार
4	विन्ध्याचल, वाराणसी, आजमगढ़	वाराणसी	19 अक्टूबर, 2022	बुधवार
5	अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, देवीपाटन	अयोध्या	21 अक्टूबर, 2022	शुक्रवार

3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित उक्त रबी उत्पादकता गोष्ठी में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के संबंधित अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. रबी उत्पादकता गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजित गोष्ठी में संबंधित विभाग के शासन स्तर के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:76/2022/1446(1)/1362733/12-2010/6/2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रंसंस्करण/ पशुपालन/मत्स्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण/परती भूमि/रेशम/दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/कानुपर/मेरठ/बांदा/डीम्ड विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायत राज/कृषि विज्ञान संस्थान/वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण सस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/को-आपरेटिव बैंक लि0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13. सामान्य प्रबंधक, संबंधित बीमा कम्पनियॉ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

14. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

15. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

16. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

17. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

18. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

19. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

20. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

21. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

22. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंध्धित को तत्काल प्रेषित करते हुए गोष्ठी के आयोजन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

23. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

24. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।